संकेतक

मानव तस्करी क

मानव तस्करी का अपराध मानव अधिकारों का जघन्य उल्लंघन माना जाता है जो मानव को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करती है और उनकी गरिमा का हनन करती है। इस समस्या से निपटने के लिये दुनिया भर के देशों के प्रयासों के बावजूद, इन प्रयासों को प्रभावशाली बनाने के लिए विश्व स्तर पर अधिक जागरुकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लगातार समायोजन की जरुरत है।

सउदी अरब का राज्य इस्लामी शरीयत के प्रावधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के मुताबिक, मानव तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रयत्नशील रहा है, शरीयत में मानवीय गरिमा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध वर्जित है तथा उनके अधिकारों के सम्मान व संरक्षण पर जोर दिया गया है।

सउदी अरब ने मानव तस्करी की समस्या से लड़ने के लिए सिर्फ नियम और कानून ही जारी नहीं किए हैं बल्कि उन्हें लागू किए जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्रियान्वयन तंत्र सुदृढ़ करने के साथ-साथ, नियमों पर अमल और उनके अनुपालन के लिये जरुरी प्रयासों पर भी अत्यधिक बल दिया है।

विभिन्न देशों में वहां की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार और स्वरुपों वाली मानव तस्करी के बावजूद, उसमें संलग्न कई अपराधी होते हैं, उन्हें न्याय और पीड़ितों तक जरुर लाया जाना चाहिये ताकि उनकी मदद और देखभाल के अलावा उनके खिलाफ किए गए उन अपराध के प्रभाव को जाना जा सके जिसकी वजह से उन्हें गम्भीर चोट पहुंची।

तस्करी के शिकार लोगों को पीड़ित के रुप में अलग से पहचानने के कुछ खास लक्षण और संकेतक होते हैं जो उन्हें बचाने में मदद करता है एवं हिफाजत व मदद लेने के लिए उन्हें तैयार करता है। इसलिये, मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को जानने और अलग से पहचानने के लिये सुरक्षा, न्याय, चिकित्सा सेवा, सामाजिक सेवाओं से जुड़े अन्य योग्य कर्मियों को इन संकेतकों से परिचित होना चाहिए।

मानव तस्करी के सामान्य संकेतक

तस्करी किए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है:

- ऐसा दर्शाना मानो उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है या उन्हें नियंत्रित किया जा रहा हो।
- एक निश्चित क्षेत्र में काम करना जिसे छोड़ने की उन्हें इजाजत ना हो।
- उन्हें यकीन हो कि वे अनिच्छा से काम करने के लिए मजबूर हैं और वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हों।
- डरे हुए और चिंतित दिखाई देते हों ।
- हिंसा और मार-पीट की आशंका से जख्मी हों।
- उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुँचाने के डर की आशंका हो।
- ऐसी चोट या विकलांगता से पीड़ित होना जो आमतौर पर किसी ख़ास काम को करने वाले लोगों में होती है।
- अधिकारियों द्वारा देश वापस भेज दिए जाने की धमकी मिलना ।
- अपनी स्थिति का खुलासा करने से डरते हों जो उनके निवास और कार्य प्रणाली के विपरीत हो।
- तमाम कागजात किसी और के पास होने के कारण उनकी पहचान को साबित करने वाले पासपोर्ट या कागजात का उनके पास न होना।
- नकली पासपोर्ट और पहचान संबंधी कागजात होना ।
- स्थानीय भाषा नहीं बोलना या उस पर अच्छी पकड़ न होना।
- अपने आवास और कार्य स्थल का पता नहीं जानता हो।

- जब कोई व्यक्ति सीधे बात करना चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से बात करने के लिए कहे, और वे निर्भर लगते हों।
- इस प्रकार का व्यवहार करना मानो किसी और से निर्देशित हो रहा हो।
- काम के स्थिति पर बात-चीत नहीं कर पाता हो।
- मामूली वेतन या मुफ्त में काम करता हो।
- शारीरिक और मौखिक प्रताड़ना झेल रहा हो।
- नाजायज़ शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर हो।
- कमाई हुई मजदूरी प्राप्त करने में लाचार हो।
- छुट्टी के दिन नहीं होना।
- बहुत ज्यादा घंटे काम करता हो।
- परिवार या अपने सामाजिक दायरे से बाहर के लोगों से सीमित संपर्क होना या संपर्क नहीं होना।
- खुलकर बात नहीं कर पाता हो।
- खराब या घटिया जगहों पर रहता हो।
- चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती हो।
- झूठे वादे कर नौकरी का लालच दिया गया हो।
- ऐसे देशों अथवा स्थानों से आना जो मानव तस्करी के स्त्रोत के रूप में जाने जाते हों।
- ऐसे स्थानों पर मौजूद होना या जुड़ाव होना जहां शोषण और मानव तस्करी होती हो।
- गंतव्य देश तक ले जाने के लिए पैसे दिए गए हों और गंतव्य देश में अन्य लोगों को इस मकसद से अपनी सेवाएँ दे रहा हो या काम कर रहा हो।

बंधुआ मजदूरी के संकेतक

बंधुआ मजदूरी के लिए तस्करी किये गए लोगों को निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है:

- समूह के रूप में उसी स्थान पर रहना जहाँ वे काम करते हों और वहाँ से शायद ही कभी बाहर निकलते हों।
- अनुपयुक्त स्थानों पर रहना।
- जिस काम को वे कर रहे हैं, उसके लिए दिए जाने वाले कपडे नहीं पहनना।
- कमायी हुई मजदूरी प्राप्त करने में असमर्थ होना।
- रोज़गार संबंधी किसी क़रार का न होना।
- उनके काम के घंटे बहुत ज्यादा होना।
- परिवहन और आवास जैसी अनेक सुविधाओं के लिए वे अपने नियोक्ता पर निर्भर होना।
- रहने के लिए स्थान चुनने का अधिकार नहीं होना।
- जब तक नियोक्ता साथ न हो तब तक कार्य स्थल छोड़कर कभी नहीं जाना।
- आजादी से घूमने-फिरने में लाचार।
- सुरक्षा प्रारूप इस प्रकार का होना जिसमें उन्हें कार्य स्थल में ही रखा जा सके।
- जुर्माने लगाकर सजा देना।
- अपमान, दुर्व्यवहार, धमकी या हिंसा का शिकार होना।
- बुनियादी प्रशिक्षण और व्यावसायिक लाइसेंस तक पहुँच का अभाव।

इसके अलावा बंधुआ मज़दूरी के शिकार लोगों को निम्नलिखित अवलोकनों से पहचाना जा सकता है:

- कार्यस्थल पर स्थानीय भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में विज्ञापनों का होना।
- कार्यक्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञापनों का अभाव।
- नियोक्ता का अन्य देशों से आने वाले मजदूरों को काम पर रखने सबंधी कागजात दिखा पाने में असमर्थ होना।
- नियोक्ता का कर्मचारियों के वेतन और भुगतान का रिकार्ड दिखा पाने में असमर्थ होना।
- उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन करना या उनमें फेरबदल करना ताकि बच्चे उन पर काम कर सकें।
- श्रम कानूनों के उल्लंघन संबंधी सबूतों का मिलना।

घरेलू श्रम में शोषण के संकेतक

घरेलू श्रम में शोषण के शिकार को निम्नलिखित लक्षणों से जाना जा सकता है:

- आराम करने और सोने के लिए अलग से कोई जगह नहीं हो।
- किसी सार्वजनिक अथवा अनुपयुक्त स्थान पर सोना।
- नियोक्ता/मालिक जानकारी दे रहा हो कि वे भाग गए या काम छोड़ दिया जबकि तब भी वे उसी घर में रह रहे हों।
- सामाजिक कारणों से घर से नहीं निकलना।
- नियोक्ता को साथ लिए बिना घर से नहीं निकलना।
- भोजन नहीं मिलना बल्कि बचा हुआ भोजन मिलना।
- अपमान, दुर्व्यवहार, धमकी या हिंसा होती हो।

बच्चों की तस्करी के संकेतक

तस्करी किये गए बच्चों को निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है:

- वे अपने माता-पिता या परिवार से सम्पर्क नहीं रख सकते।
- वे डरे-सहमे नजर आते हैं और अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में इनका व्यवहार असंगत और भिन्न होता है।
- काम के अलावा उनका कोई हम-उम्र दोस्त भी नहीं होता।
- वे स्कूल नहीं जाते और वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।
- वे ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो रहने लायक नहीं होते।
- वे परिवार के अन्य सदस्यों से दूर खाना खाते हैं।
- भोजन में उन्हें सिर्फ जूठन दिया जाता है।
- वे ऐसे काम करते हैं जो बच्चों के करने लायक नहीं होते।
- वे अकेले या ऐसे लोगों के समूह के साथ सफ़र करते हैं जो उनके रिश्तेदार नहीं होते।

इसके अलावा, तस्करी किए गए बच्चों का अनुमान निम्नलिखित अवलोकनों से लगाया जा सकता है :

- कोई वयस्क यह दावा करता है कि एक बच्चा पाया गया जिसके साथ कोई नहीं था।
- अवैध रूप से गोद लेने से जुड़े मामलों का पाया जाना।
- अकेला बच्चा पाया जाना जिसके पास सिर्फ टैक्सी वाले का टेलीफोन नंबर हो।
- बच्चों के माप के ऐसे कपड़ों का मिलना जो शारीरिक श्रम के दौरान पहने जाते हों।
- अनुपयुक्त स्थानों पर बच्चों के खिलौने, बिस्तर तथा कपड़ों का पाया जाना, जैसे कारखाने।

भीख के उद्देश्य पर तस्करी के संकेतक

ऐसे लोग जिनकी तस्करी भीख मंगवाने या छोटे-मोटे अपराधों के लिए की गई हो, उन्हें निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है:

- बच्चे, वृद्ध या अप्रवासियों का अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगते देखा जाना।
- अंग काटे जाने के कारण शारीरिक विकलांगता होना।
- कुछ वयस्कों के साथ, एक ही राष्ट्रीयता अथवा जातीय समूह के बच्चों का एक समूह के रूप में यात्रा करना।
- संगठित आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों में हिस्सा लेना।
- एक ही राष्ट्रीयता या जातीय समूह के गिरोहों से जुड़ा होना।
- ज्यादा पैसे एकत्र ना करने या चोरी न कर पाने पर सजा मिलना।
- गंतव्य देशों में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ यात्रा करना और उन्हीं के साथ रहना।
- ऐसे वयस्कों के साथ रहना जो उनके माता या पिता नहीं हैं।
- रोज़ समूहों में दूर तक आना-जाना।
- एक ही समय अंतराल में इन संदेहास्पद पीड़ितों का, कई देशों में आना-जाना।
- इन संदेहास्पद पीड़ितों का अन्य देशों में भीख मांगना या छोटे-मोटे अपराध करना।

यौन शोषण के संकेतक

जिन व्यक्तियों की यौन शोषण के उद्देश्य से तस्करी हुई हो, उन्हें निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है:

- उनकी तस्करी करने वाले उनके साथ होते हैं और उनकी निगरानी करते रहते हैं, और आजादी से घूमने-फिरने पर पाबंदी लगाते हैं।
- उनके शरीर पर कोई गोदना या अन्य चिन्ह का होना जो उन पर शोषकों का 'मालिकाना हक' दर्शाता हो।
- वे वहीं सोते हों जहाँ काम करते हों।
- वे समूह में ही रहते और यात्रा करते हों।
- स्थानीय भाषा की समझ न होने पर भी स्थानीय भाषा में सेक्स से जुड़े शब्दों को जानना।
- उनके पास अपना पैसा न होना।
- वे अपनी पहचान बताने वाले कागज़ात नहीं दिखा पाते।